

## महत्त्वपूर्ण परिपत्र

प्रशा0/1/1001/ए सी आर  
कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)  
मेरठ छावनी  
दिनांक:03/8/2016

सेवा में,

रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ के सभी अनुभाग  
रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) के सभी उप कार्यालय

विषय: वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को पूरा करना ।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुख्यालय कार्यालय के महत्त्वपूर्ण परिपत्र संख्या प्रशा .-  
1/1399/ए पी ए आर/परिपत्र दिनांक 26/7/2016 की प्रति आवश्यक कार्यवाही तथा  
अनुपालन हेतु प्रेषित है।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

ओ ए सैल (स्थानीय)

रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ के वैबसाइट पर अपलोड करने  
के लिये।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक  
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी - 110010

11-25674854

फैक्स: 011-25674781

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं. : प्रशा.-1/1399/ए.पी.ए.आर./परिपत्र

दिनांक: 26.07.2016

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि. एवं समकक्ष  
(र.ले.म.नि. वैबसाइट के माध्यम से)

विषय: वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को पूरा करना।

1. वा.का.मूरि. भेजने की प्रक्रिया के दौरान महसूस किया गया कि अधिकारी, जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी है, वे भी रिपोर्टिड(reported)/रीव्यूड(reviewed)/एक्सेप्टिड (accepted) वा.का.मूरि. को मुख्यालय कार्यालय भेजने में शामिल होते हैं जो कि इस कार्य के लिए जारी अनुदेशों की भावनाओं के विरुद्ध है। जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी है उसकी रिपोर्ट तक पहुँच तभी होनी चाहिए जब रिपोर्ट पूर्ण हो चुकी हो तथा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/1/2005-Estt.(A) (P-II) के पैरा 2 (ii) के दिए प्रावधानों के अन्तर्गत रिपोर्ट की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जानी हो।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में उस अधिकारी, जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी हो को रिपोर्ट भेजने आदि की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि वा.का.मूरि. अंतिम चरण तक न पहुँच जाए और उस पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/1/2005-Estt.(A) (P-II) के अनुसार कार्रवाई की जानी हो।

3. यह भविष्य में मार्गदर्शन के लिए है और इसका कड़ाई से पालन किया जाए।




(शाम देव)

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. प्रशा - IV अनुभाग (स्थानीय) - उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई के लिए।
2. ईडीपी अनुभाग (स्थानीय) - रक्षा लेखा महानियंत्रक के वैबसाइट में अपलोड करने के लिए।



(शालीन शर्मा)

लेखा अधिकारी (प्रशा.)

AD (S)  
(R)  
RMS